# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

**(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)**

**A041-20242025-41-2002-001-39-2025-CN-1910669**

**विषयः-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या-5452-पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-1304-जनपद चित्रकूट में पर्यटन विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।**

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 5452801044700 (उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य विकास परिषद् द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 65,00,00,000 रुपये पैंसठ करोड़ मात्र | 35,31,76,000 रुपये पैंतीस करोड़ इकतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र | 15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र | 2024-2025 |
| **कुल** | | | | | ₹ 15,00,00,000 | ₹ 5,00,00,000 | | |

## निम्नलिखित निधि मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 5452801041304 (जनपद चित्रकूट में पर्यटन विकास) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र | 15,00,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र | 2024-2025 |
| **कुल** | | | | ₹ 15,00,00,000 | ₹ 5,00,00,000 | | |

**उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-**

1- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

**संख्या:RE-budget-1-801-E-7-387-X-2024-25-दिनांक:27-03-2025**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

( सर्वेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

( मंजीत सिंह )
अनु सचिव।

**संख्या-189/2025/738/41-2-2025-CN-1910669 दिनांक 27 मार्च, 2025**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

( सर्वेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।